न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-30/2015

तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

---अपीलान्ट---

---बनाम---

बोदूराम पुत्र छोटूराम जाति बावरिया निवासी ठिकरिया तहसील नीमकाथाना।

--रेस्पोडेन्ट--

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक
31-8-2015 द्वारा अति0
जिला कलेक्टर, सीकर ।

---0---

उपस्थिति-

1- श्री पोकरमल एडवोकेट- अपीलान्ट

2- श्री सन्तोष कुमार मिश्रा एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 22.12.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार के न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट की कि बोदूराम पि0 छोटूराम बावरिया ने सम्वत 2017 में ख0नं0 63 रकबा 12.59 हैक्टर किस्म चारागाह में से 0.05 हैक्टर पर झोपडी बनाकर बाडा बनाकर अतिक्रमण किया है । रिपोर्ट पर तहसीलदार ने बोदूराम गैरसायल को धारा-91 राज0 भू-राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस देकर बाद सुनवाई गैरसायल को अतिक्रमी रकबे से बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध बोदूराम ने अति0 जिला कलेक्टर सीकर के यहां प्रथम अपील पेश की । जिस पर अदालत मातहत ने सुनवाई करते हुये तहसील--दार को निर्देश दिये कि अपीलान्ट को बेदखली के आदेश के साथ उसका पुर्नवास हेतु आवासीय पटटा जारी करवाये अथवा राजकीय भूमि सेट अपार्ट करावे साथ ही

तहसीलदार के आदेश दिनांक 9-7-2014 की क्रियान्विति निर्णय की तारीख से एक कलेण्डर वर्ष के लिये स्थगित की जाती है । इस आदेश से क्षुब्ध होकर यह अपील अपीलान्ट ने निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत साक्ष्य का सही रूप से विवेचन एवं अवलोकन न कर अपना निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत ने अपना निर्णय केवल भावनाओं में बहकर पारित किया है । रेस्पोडेन्ट बावरिया जाति से है जो ग्राम ठिकरिया की तन में स्थित बोराणा की ढाणी में बावरिया बस्ती में स्थाई रूप से परिवार सहित आवास निवास करता है । रेस्पोडेन्ट का यह कथन गलत है कि उसके पास आवास निवास का कोई स्थान नहीं है । राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया जाये तो रेस्पोडेन्ट के पास ग्राम ठीकरिया तहसील नीमकाथाना की तन में स्वयं के नाम से 0.40 हैक्टर भूमि खाते में दर्ज है। जिसके खसरा नं0 1338 है । इसके अलावा रेस्पोडेन्ट ख0नं0 948/1381 रकबा 0.20 हैक्टर भूमि संयुक्त रूप से बोदूराम सागरमल, मोहनलाल पुत्रगण छोटूराम बावरिया के नाम से दर्ज है । इससे स्पष्ट है कि अतिक्रमी के पास पहले से ही ढाणी बोराणा तन ठिकरिया में सरकारी सहायता से मकान जो इन्द्रा आवसीय योजना के तहत बोदूराम की पत्नी कमली के नाम से सन् 1997 में बनाया गया है जिसमें बोदूराम गय परिवार आबाद है । इस आवास में तीन पुख्ता मकान है । रेस्पोडेन्ट ने अदालत मातहत में झूठे तथ्य पेश कर अदालत मातहत ने वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुये आदेश प्राप्त किया है जो निरस्त योग्य है । रेस्पोडेन्ट कानूनन इस प्रकार की छल कपट करने के कारण यह किसी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं है ।अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट के गलत तथ्यों के आधार पर बिना रेकार्ड का अवलोकन कर केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय पारित किया है जो एक अति-क्रमी को अतिक्रमण करने का बढावा देने के लिये प्रोत्साहित किया है जो कानून के विपरित है । विवादित आराजी चारागाह की भूमि है जिस पर ग्राम ठिकरिया के पशुधन आदि चरते है तथा इस चारागाह भूमि में पानी भी भरता है जिसको

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव

आस पास के पशु पीते हैं ।ग्राम ठिकरिया के आस पास की ढाणीयों सहित भेड बकरी, गांय भैंस आदि करीब 20 हजार के करीब है जिनके चराई के लिये यह आराजी सुरक्षित रखी जानी चाहिये । रेस्पोडेन्ट को गलत रूप से आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि दी गई तो भविष्य में अन्य व्यक्तियों द्वारा मांग किये जाने का यह संदेश गलत जायेगा । अतः अदालत मातहत का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार किया जावे तथा बेदखली का आदेश यथावत रखा जावे ।

अपील संख्या-15/2015

1- राम सहाय पुत्र रामधन		
2- झाबरमल पुत्र मूलाराम		
3- हरिसिंह पुत्र मन्साराम		समस्त जाति जाट निवासी ठीकरिया त0नि0 तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
4- शिशराम पुत्र भगवानाराम		
5- रमेशचन्द पुत्र मन्नाराम		

--अपीलान्टस---

--बनाम---

1- बोदूराम पुत्र छोटूराम जाति बावरिया निवासी ठिकरिया तहसील नीमकाथाना जिला सीकर ।

--रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी

2- तहसीलदार तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

--रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी

उक्त अपील भी विद्वान अति0 जिला कलेक्टर (I) सीकर के आदेश दिनांक 30-8-2015 के विरूद्ध पेश की गई । जिसमें विवादित आराजी एवं प्रार्थी समान होने से इन दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी चारागाह भूमि है । इस भूमि पर न तो किसी को पटटा दिया जा सकता है और न ही किसी प्रकार का आंवटन अथवा नियमन किया जा सकता है ।रेस्पोडेन्ट सं0-। बावरिया जाति का सदस्य है जो ग्राम ठीकरिया की तन में ढाणी बोराणा की बावरिया बस्ती में स्थाई रूप से बसा हुआ है । जिसकी पत्नी के नाम से इन्द्रा आवास योजना के तहत मकान बनाये है जिनमें यह परिवार सहित आवास निवास कर रहा है। रेस्पोडेन्ट का यह तथ्य मिथ्या है कि उसके पास आवास निवास करने के लिये कोई जगह नहीं है । इतना ही नहीं रेस्पोडेन्ट के पास खातेदारी की आराजी भी है । जिसका राजस्व रेकार्ड नकल जमाबन्दी सं0- 2070 से 2073 पेश की है । उसमें यह आराजी का काबिज खातेदार काश्तकार है । रेस्पोडेन्ट ने अदालत मातहत के समक्ष झूठे तथ्य रख कर गलत रूप से वास्तविक तथ्यों को छिपा कर आदेश प्राप्त किया है। ऐसे व्यक्ति को जो न्यायालय में सही तथ्यों को छिपाकर मुगालता देता है उस व्यक्ति को तो राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधा पर भी रोक लगानी चाहिये ताकि भविष्य में झुठे तथ्य पेश न करें ।विवादित आराजी चारागाह भूमि है जो रेस्पो0 को आवास के लिये नहीं दी जा सकती । अदालत मातहत ने अपना आदेश केवल भावनाओं के आधार पर पारित किया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का आदेश निरस्त किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सं0-। गरीब बावरिया परिवार जाति का सदस्य है । रेस्पोडेन्ट सं0-। ने तहसीलदार के यहां आवास नहीं होने का कथन किया था किन्तु तहसीलदार ने इस तथ्य का कोई खण्डन नहीं किया है तथा न ही पटवारी हल्का से इस बाबत कोई साक्ष्य ली है ।अपीलान्ट तहसीलदार अदालत मातहत में अपना पक्ष रखने के लिये कभी भी हाजिर नहीं आये न ही अपने प्रतिनिधि अथवा कर्मचारियों को भेजा है। न किसी प्रकार का जबाब पेश किया है। इस अपील के साथ तहसीलदार का कोई शपथ पत्र भी नहीं है । तहसीलदार गैर जिम्मेदाराना तथ्यों व कथनों से बचने के लिये यह अपील

पेश की है ।अपील संख्या-15/2015 राम सहायक बनाम बोदूराम अपीलान्टस् ने पेश की है । अपीलान्टस् अदालत मातहत में पक्षकार नहीं है ।और अदालत मातहत में पक्षकार नहीं है तो बिना धारा-96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के यह अपील पेश नहीं कर सकते है । अपील के साथ धारा-96 सीपीसी प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है ।अपीलान्ट विवादित आराजी में कोई हित नहीं रखते हैं । अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट को केवल गरीब बावरिया परिवार का सदस्य होने से हैरान व परेशान करने की नियत से पेश की हैअतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 31-8-2015 को यथावत रखा जावे ।

बहस बगौर समहात की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। कार्यालय ग्राम पंचायत सरपंच ठीकरिया ने तहसीलदार नीमकाथाना को पत्र दि0 24-6-14 को प्रेषित किया जिसमें बोदूराम पुत्र छोटूराम बारिया ने चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है । उनका स्वयं का आवासीय पक्का मकान ढाणी बोराणा की (बारिया बस्ती) तन ठीकरिया में आवासीय मकान इन्द्रा आवास योजना में सरकारी सहायता से बने है।जिसके स्वीकृति आदेश कमली पत्नी बोदूराम के नाम से हुई है । निर्वाचन नामावली 2014 में क्र0सं0 220 पर बोदूराम पुत्र छोटूराम दर्ज है जिसके मकान की क्रम सं0-224 दर्ज है । जमाबन्दी सं0-2070 से 2073 में ख0नं0 1338 रकबा 0.40 हैक्टर की खातेदारी बोदू पुत्र छोटू बावरिया के नाम दर्ज है ।तथा ख0नं0 948/1381 रकबा 0.20 हैक्टर की खातेदारी बोदूराम, मोहनलाल, सागरमल पि0 छोटूराम के नाम दर्ज है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट बोदूराम बावरिया ने इन्द्रा आवास की सहायता लेकर मकान बनाकर आवास निवास कर रहा है जो सरपंच ग्राम पंचायत ठीकरिया के पत्रांक24-6-2014 से स्पष्ट है । साथ ही रेस्पोडेन्ट सं0-1 राजस्व रेकार्ड के आधार पर वह कृषि भूमि का खातेदार भी है । रेस्पो0 ने इन सभी तथ्यों को छिपाते हुये अदालत मातहत के समक्ष झुठे तथ्य पेश किये है जिनके लिये वह दोषी है ।ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार की राजकीय सहायता भी नहीं दी जानी चाहिये । अदालत मातहत ने भी इन सभी तथ्यों पर बिना

गौर किये अपना निर्णय केवल भावनाओं के आधार पर दिया है वह भी ऐसी भूमि जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-16 से वर्जित है । अदालत मातहत ने न तो राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया और न ही किसी प्रकार की साक्ष्य लिये जाने की कोशीश की। केवल रेस्पोडेन्ट सं0-1 बोदूराम बावरिया जाति का सदस्य होने से उसे चारागाह भूमि पर अतिक्रमण की अनुमति विधि के विपरित दी है । अत: हम अदालत मातहत के आदेश से सहमत नहीं है ।

अत: उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर का निर्णय दिनांक 31-8-2015 खारिज किया जाता है । उक्त दोनो अपीलों का निर्णय एक साथ किया गया है । निर्णय की प्रति अपील संख्या-15/2015 में संलग्न की जावे ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 22.12.2017 को सुनाया गया ।

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर